पेरिस पीस कांफ्रेंस (Paris Peace Conference) – 1919

पेरिस पीस कांफ्रेंस 18 जनवरी 1919 को प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) की समाप्ति के बाद शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पराजित देशों (मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया) के साथ शांति समझौतों को तय करना था और भविष्य में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाना था। यह सम्मेलन लगभग एक वर्ष तक चला और 21 जनवरी 1920 को समाप्त हुआ।

---

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद विजेता देशों (मित्र राष्ट्र – Allied Powers) ने यह सम्मेलन बुलाया।

इसका उद्देश्य युद्ध के लिए जिम्मेदार देशों को दंडित करना, नए राष्ट्रों की सीमाएं तय करना और एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जिससे भविष्य में विश्व युद्ध न हो।

"शांति के लिए शांति" या "विजयी राष्ट्रों की संधि" – इस कांफ्रेंस में विजयी देशों ने शांति स्थापित करने के नाम पर कठोर शर्तें थोप दीं, विशेष रूप से जर्मनी पर।

---

2. प्रमुख प्रतिभागी राष्ट्र

"बिग फोर" (The Big Four)

कांफ्रेंस में चार प्रमुख देशों ने निर्णय लेने में मुख्य भूमिका निभाई:

1. यूनाइटेड स्टेट्स (अमेरिका) – वुडरो विल्सन

14-सूत्रीय प्रस्ताव (Fourteen Points) प्रस्तुत किया, जिसमें "राष्ट्र संघ" (League of Nations) बनाने का विचार शामिल था।

वह एक उदार दृष्टिकोण से शांति की बात कर रहे थे।

2. ब्रिटेन – डेविड लॉयड जॉर्ज

जर्मनी को सजा देने के पक्ष में थे, लेकिन संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहते थे ताकि यूरोप में स्थिरता बनी रहे।

3. फ्रांस – जॉर्ज क्लेमेंसो

जर्मनी को कड़ी से कड़ी सजा देने के पक्षधर थे ताकि भविष्य में वह फिर से खतरा न बने।

फ्रांस ने खासकर जर्मनी से युद्ध हर्जाना और सुरक्षा गारंटी की मांग की।

4. इटली – विटोरियो ऑरलैंडो

मुख्य रूप से अपने क्षेत्रीय लाभ के लिए कांफ्रेंस में शामिल था, लेकिन उसकी मांगों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया।

अन्य देशों में जापान, बेल्जियम, सर्बिया, ग्रीस, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ब्राजील आदि शामिल थे, लेकिन वे प्रमुख निर्णयों में ज्यादा प्रभावी नहीं थे।

---

3. प्रमुख संधियाँ (Treaties)

इस कांफ्रेंस के दौरान कई संधियाँ की गईं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) थी।

(i) वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) – 28 जून 1919

मुख्य रूप से जर्मनी के खिलाफ बनाई गई।

जर्मनी को युद्ध का दोषी (War Guilt Clause – Article 231) ठहराया गया।

भारी हर्जाना (Reparations) देना पड़ा ($132 बिलियन गोल्ड मार्क्स)।

उसकी सेना को सीमित (100,000 सैनिक, टैंक और वायुसेना पर रोक) कर दिया गया।

राइनलैंड (Rhineland) को असैन्यीकृत क्षेत्र (Demilitarized Zone) बना दिया गया।

उसके कई क्षेत्र छीने गए:

एल्सेस-लोरेन फ्रांस को दिया गया।

पोलैंड को पश्चिमी क्षेत्र (Polish Corridor) मिला।

डेनमार्क और बेल्जियम को भी कुछ क्षेत्र दिए गए।

जर्मनी के औपनिवेशिक साम्राज्य को ब्रिटेन और फ्रांस में बाँट दिया गया।

(ii) अन्य महत्वपूर्ण संधियाँ

सेंट जर्मेन की संधि (Treaty of Saint-Germain) – 1919

ऑस्ट्रिया के साथ हुई, जिससे उसका साम्राज्य बिखर गया।

ट्रायनॉन की संधि (Treaty of Trianon) – 1920

हंगरी को अलग किया गया और उसकी भूमि छीन ली गई।

न्यूली की संधि (Treaty of Neuilly) – 1919

बुल्गारिया के साथ हुई, जिससे उसे क्षेत्रीय नुकसान उठाना पड़ा।

सेव्र की संधि (Treaty of Sèvres) – 1920

ओटोमन साम्राज्य (तुर्की) को विभाजित किया गया।

इसे 1923 में लॉज़ान संधि (Treaty of Lausanne) से बदल दिया गया।

---

4. राष्ट्र संघ (League of Nations) का गठन

वुडरो विल्सन के 14-सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्र संघ (League of Nations) बनाया गया।

इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था।

लेकिन अमेरिका खुद ही इसका सदस्य नहीं बना, जिससे इसकी शक्ति कमजोर हो गई।

---

5. पेरिस पीस कांफ्रेंस की आलोचना और परिणाम

(i) आलोचना

1. अत्यधिक कठोर संधियाँ:

जर्मनी पर लगाई गई संधियाँ बहुत कठोर थीं, जिससे वहां आक्रोश बढ़ा।

वर्साय संधि को जर्मनों ने "डिक्टेटेड पीस" (Dictated Peace) कहा।

2. भविष्य के संघर्ष की नींव:

यह संधियाँ द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) की एक प्रमुख वजह बनीं।

3. रूस को अलग रखना:

बोल्शेविक क्रांति (1917) के कारण रूस को बाहर रखा गया, जिससे वह पश्चिमी देशों से कट गया।

4. औपनिवेशिक देशों की अनदेखी:

भारत, वियतनाम, मिस्र, कोरिया जैसे देशों की स्वतंत्रता की मांगें नहीं मानी गईं।

(ii) दूरगामी परिणाम

यूरोप का राजनीतिक नक्शा बदल गया।

नए राष्ट्र बने (पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड आदि)।

जर्मनी में नाजी पार्टी (Hitler's Nazi Party) का उदय हुआ।

युद्ध का बीज बो दिया गया, जो 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध में बदल गया।

निष्कर्ष

पेरिस पीस कांफ्रेंस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया, लेकिन यह संधियाँ अत्यधिक दंडात्मक थीं, जिसने असंतोष और द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बो दिए। यह कांफ्रेंस इतिहास में "एक अस्थायी शांति की संधि" (A Temporary Peace Treaty) के रूप में देखी जाती है।